



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2013/माघ 8, 1934

No. 255]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2013/MAGHA 8, 1934

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2013

का.आ. 277(अ).—केन्द्र सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री राहुल गुहा, खान सुरक्षा के उप महानिदेशक को खान सुरक्षा महानिदेशालय संगठन में सभी प्रांतों जिसके लिए उक्त अधिनियम लागू है, मुख्य खान निरीक्षक के पद पर 1-2-2013 से इस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक निहित नियमों के आधार पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-32012/01/2012-आइएसएच. II]

ए. सी. पान्डे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2013

S.O. 277(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Mines Act, 1952(35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Rahul Guha, Deputy Director General of Mines Safety, in the Directorate General of Mines Safety Organisation to be the Chief Inspector of Mines for all the territories to which the said Act extends with effect from 1-2-2013 till the time of a regular appointment against this post as per the extant Rules.

[F. No. A-32012/01/2012-ISH. II]

A. C. PANDEY, Jt. Secy.